पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य- सामान्य निर्देश (132 भाग-2) //2022-23// 885 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 23 मई, 2022

1-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3-असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा जारी शासनादेशों व मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का संज्ञान लिए बिना ही जिन शिकायती प्रकरण में नियम विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, उसकी जांच कराते हुए सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।

अवगत कराना है कि मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था0-6-सामान्य-सामान्य निर्देश(132) भाग-2/2020-21 / 1123/वाणिज्य कर दिनांक 05.08.2020 द्वारा शासनादेश दिनांक 1.08.1997 तथा अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार शिकायती-पत्रों का नियमानुसार निस्तारण किये जाने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय मामलों में बिना जांच कराये आधारहीन शिकायती-पत्रों पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध किये जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लायी गयी है। यह कार्यशैली किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती है।

अतः मुख्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 05.08.2020 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार शिकायती-पत्रों का नियमानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,गोमतीनगर, लखनऊ।
3-ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4-पटल प्रभारी- स्था-5क, 5ग, 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 3क, 3ख, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
5-प्रान्तीय अध्यक्ष /महामंत्री, यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 मुख्यालय / लखनऊ।

23/05/2022
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य- सामान्य निर्देश (132 भाग-2) //2020-21// 1123 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 05 अगस्त, 2020

1-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(ए), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2020 को सम्पन्न बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गये है कि वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जॉच की नियमानुसार पुष्टि उसी स्तर पर करायी जाय, जिस स्तर पर शिकायतें प्राप्त हों। तदोपरान्त शिकायतों की जॉच की कार्यवाही करायी जाय।

शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997 दिनांक 01.08.1997 में समूह "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणी के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया को अपनाये जाने के निर्देश दिये गये है:-

1- विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाये कि पत्र उन्ही के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित है।

2- अन्य स्रोतों / व्यक्तियों से प्रात शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।

उपर्युक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय मामलों में बिना जांच कराये आधारहीन शिकायती-पत्रों पर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध किये जा रहे उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लायी गयी है। यह कार्यशैली किसी भी प्रकार से उचित नहीं कही जा सकती है।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासनादेश दिनांक 01.08.1997 तथा अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार नियमानुसार शिकायती-पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,गोमतीनगर, लखनऊ।

3-ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

4-पटल प्रभारी- स्था-5क, 5ग, 4क, 4ख, 4ग, 4घ, 3क, 3ख, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

5-प्रान्तीय अध्यक्ष /महामंत्री, यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 मुरादाबाद / लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

O/C